ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर

:: निविदा प्रपत्र ::

1. निविदा कार्यः– ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु इंसूलेटेड टैंकर्स ।

2. निविदा प्रपत्र का मूल्य :–रुपये एक हजार मात्र नगद (रु.1000/–नगद)

3. ऑनलाईन निविदा क्रय करने की दिनांकः–निविदा प्रकाशन से दिनांक 02.04.2018 दोपहर 05.30 बजे तक।

4. ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समयः– 03.04.2018 दोपहर 2.00 बजे तक।

5. निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समयः– दिनांक 03.04.2018 दोपहर 3.30 बजे पश्चात।

6. निविदा खोलने का स्थान :– कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोले का मंदिर,ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

7. व्यवहार हेतु पताः– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोले का मंदिर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

8. किसी भी फर्म द्वारा एक से अधिक निविदा जमा करना मान्य नही है।

9. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पृथक लिफाफो में प्रस्तुत करना होगा।

   (अ) धरोहर राशि (ई.एम.डी.) – लिफाफा – ए
   (ब) टेक्नीकल बिड – लिफाफा – बी
   (स) निविदा प्रपत्र(प्राईस बिड)– लिफाफा – सी

नोटः– सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का डी.डी./बैंकर्स चेक भौतिक रुप से ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय से पूर्व प्रस्तुत करें। तकनीकी प्रपत्र मय दस्तावेजों की प्रति के साथ भौतिक रूप से भी प्रस्तुत करें। PRICE Bid केवल ऑनलाईन ही मान्य रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
ग्वालियर

खण्ड (स)

दुग्ध शीतकेन्द/अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर से टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन निविदा की सामान्य शर्ते एवं नियम :–

1. निविदाकार को ई–मोड द्वारा ही ऑनलाईन बिड www.mpeproc.gov.in पर जमा करनी होगी। ई.एम.डी.के बैंक ड्राफ्ट / नगदी की रसीद जो कि **"ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित"** को देय हो की स्केन कॉपी ऑनलाईन टेक्नीकल बिड के साथ जमा करनी होगी साथ ही उसे मूल प्रति फिजीकली दुग्ध संघ कर्यालय में निविदा खोले जाने के पूर्व जमा करना होगी अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

2. वाहन उपलब्धता के अनुरुप निविदा एक या एक से अधिक वाहन हेतु दी जा सकती है।नवीन वाहन प्रदाय करने की स्थिति में एक माह में वाहन उपलब्ध करवाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. प्रदेश के अन्य दुग्ध संधो द्वारा ब्लेक लिस्टेड परिवहनकर्ता की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

4. निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 20,000/–(बीस हजार) EMD राशि की रकम नगद अथवा ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ग्वालियर सहकारी दुग्ध संध मर्यादित ग्वालियर को देय होगा लगाना अनिवार्य है। उक्त धरोहर राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित निविदाकार के लेखों मे अमानत राशि के साथ किया जावेगा अर्थात् सुरक्षा निधि जो रु. 2,50,000/–(रु.दो लाख पचास हजार मात्र) है के विरुध्द रु.20,000/– का समायोजन किया जा सकेगा। इस जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

5. निगोशिएसन केवल न्युनतम प्राप्त दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से किया जावेगा।

अनुबंध की शर्ते

1. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकतानुसार संयत्र की मांग पर जो मौखिक होगी,टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होंगें।

2. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण,डीजल व अन्य सभी खर्चो के लिये स्वंय उत्तरदायी है। इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नही होगा। टोल टेक्स आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वंय वहन किया जाना होगा।

3. स्वीकृत निविदाकर्ता को परिवहन हेतु आवश्यक स्टाफ मय अधिकृत लाईसेंस के रखना होगा तथा संबंधित स्टाफ का पुलिस सत्यापन तथा लाईसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगी।

4. प्रतिदिन दुग्ध शीतकेन्द्र/ अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर में संकलित दूध, संयत्र ग्वालियर/शीतकेन्द्र तक लाने/भेजने की जबावदारी द्वितीय पक्षकार की रहेगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश दिये जावेंगे।

5. दुग्ध शीतकेन्द्र/अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर से दुग्ध संयत्र तक की दूरी का सत्यापन संध के वाहन से किया जावेगा एवं तदानुसार ही भुगतान किया जावेगा। वाहन को प्रतिदिन दुग्ध संयत्र से ही संचालित करना होगा।

6. टैंकर वाल्व लिकेज नहीं होना चाहिए,लिकेज होने की दशा में होने वाली दूध की हानि का कटोत्रा टैंकर के परिवहन देयक से किया जावेगा।

7. प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध शीतकेन्द्र/अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर को दिये जाने वाले सामान जैसे मिनरल मिक्स्चर,टेस्टिंग एवं स्टेशनरी,सामान ले जाना होगा एवं इसका लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। संध से भेजे गये सामान को शीतकेन्द्र /अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर को देकर प्राप्ति रसीद संध कर्यालय में जमा करना होगी। शीतकेन्द्र को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटोत्रा किया जावेगा।

8. किसी कारण से यदि संकलन बंद रखा जाता है इसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जाती है तो द्वितीय पक्ष को उन दिनों का कोई भाडा देय नहीं होगा।

9. निर्देशित समय से शीतकेन्द /अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर का दूध डेरी संयत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष को वहन करना होगी,किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी,डेरी संयत्र पर दूध नही पहुॅचने की स्थिति में/दूध खराब होने पर जो हांनि होगी वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा परिवहन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है एवं प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें संध को जो भी अतिरिक्त राशि देना पडेगी,वह राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जावेगी एवं लगातार तीन बार शिकायत प्राप्त होने पर आगामी दो वर्षो तक संध की निविदाओं में सम्मिलित होने में प्रतिबन्धित किया जा सकेगा।

10. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यो (ऐसे कृत्य जिनके लिये द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो,को छोडकर) जो द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर हो,जैसे कारणों को छोडकर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फटा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।

11. क्रमांक 8 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर के मानवीय कृत्यो का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

12. एक्सीडेन्ट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त की जाती है तथा दूध का नुकसान होता है,तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटोत्रा द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।

13. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में दुग्ध परिवहन हेतु वाहन नही भेजा जाता है तो इससे शीतकेन्द्र/संध को होने वाली हांनि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित वाहन में ईधन के रुप में डीजल ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा धासलेट,मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जॉच में डीजल के स्थान पर धासलेट,मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को परिवहन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संध स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली भी द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त करने एवं प्रतिभूति राशि राजसात की कार्यवाही भी की जा सकती है। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष से डीजल की मॉग की जाती है तो डीजल की राशि का कटोत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा।

14. संध के कार्य से संध/ संस्था कर्मचारी को आवश्यकता पडने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

15. संध के प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नही लाई जावेगी,यदि ऐसा करते हुये किसी दिन पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड आरोपित किया जावेगा।

16. द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संध के संचालक मण्डल के सदस्यों/ संध प्रतिनिधि/संध अधिकारियो/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड दे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें।

17. द्वितीय पक्ष व्दारा अनुबंध शर्तो का निरंतर उल्लंधन करने या संतोषजनक कार्य न करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बन्द करने अथवा संध द्वारा आदेशित निर्देशो का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जब्त कर लें, इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हांनि होती है तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर ली जावेगी।

18. चेंकिग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच करने पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारियों द्वारा दूध में गडबडी,हेराफेरी,दूध निकालकर विक्रय करने या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाये जाते है तो अनुबंध अवधि की समस्त दूध कमी एवं इससे शीतकेन्द्र/संध को होने वाली हांनि का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

19. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुध्द सहकारी,सरकारी,कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संध/शीतकेन्द्र/को कोई हांनि होगी तो वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

20. द्वितीय पक्ष हडताल/ कार्यबन्दी नहीं करेगा एव ंना ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हांनि अथवा प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा,उसके लिए द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

21. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेगी,डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नही करेगें। यदि ऐसा किया जाता है तो संध द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अन्दर आने के पश्चात् जब तक वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है,तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ रहेगे।

22. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा,यदि खराब हो जाता है तो 24 धन्टो में पुनः सुधरवाया जावेगा।

23. दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सूचनाऐ लिखवाना होगी एवं पत्र पेटी अपनी ओर से लगवाना होगी। दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगाः–
    1. टैंकर के पीछे दुग्ध विक्रय हेतु नही है।
2. टैकर के दोनो ओर इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया 9406900729 एवं 9406900713 नम्बर पर सूचित करें ।

24. इस अनुबन्ध के अन्तर्गत यदि कोई राशि संध/शीतकेन्द्रं की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा,इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु कोई अतिरिक्त व्यय होता है,तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष जबावदेह होगा।

25. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि,वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा,वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

26. द्वितीय पक्ष अनुबन्ध में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर पर समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबन्ध करावेगा। इस हेतु हस्तांतरण शुल्क रुपये 10000/– संध में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबन्ध हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

27. संध के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष कोई निकट का रिश्तेदार,पति,पत्नि,पुत्री,सगे भाई बन्धु नही है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रकट करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर लें।

28. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाऐ जावेगे। वह हर समय गाडी के साथ रहेगें एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।

29. स्थानीय /मध्यप्रदेश/भारत शासन द्वारा आयकर की जो भी दरें लागू की जावेगी,वह वाहन अनुबंधकर्ता के बिलों से काट कर उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जाकर उसका प्रमाण–पत्र संध व्दारा निविदाकर्ता को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा नम्बर द्वितीय पक्ष को आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर देना अनिवार्य होगा।

30. अनुबन्धकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंधन करने पर हुई हांनि की राशि प्रथमतः उसके देयको से/ प्रतिभूति राशि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा 45 दिवस की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

31. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी,लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृध्दि होती है तो ही अनुबंध शर्तो अनुसार कमी/वृद्वि की जावेगी।

9000 लीटर क्षमता हेतु	8 कि.मी.प्रति लीटर
7000 लीटर क्षमता हेतु	8 कि.मी.प्रति लीटर

32. डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस,आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृध्दि होने पर अनुबंधित दरों में वृध्दि नही की जावेगी।

33. विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्र/अन्य संघ/मध्य प्रदेश के बाहर से टैकर में दूध लोड किये जाने वाले दुग्ध की मात्रा एवं फेट/एसएनएफ का सत्यापन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा, तद्नुसार दुग्ध संयत्र/अन्य दुग्ध संघ/मध्य प्रदेश के बाहर लाने/ ले जाने पर कुल दूध की मात्रा एवं फेट/एसएनएफ के हस्तांतरण का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, इसमें किसी प्रकार की दूध मात्रा, फेट/एसएनएफ कम आने पर अन्तर की वसूली द्वितीय पक्ष के देयको से की जा सकेगी।

34. अनुबंधित वाहन पर वाहन चालक एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष नियुक्त करेगा वह उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होगें,तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिकारों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटोत्रा का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष द्वारा स्वंय ही रखना होगा।

35. अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाने पर अनुमोदित दर में 10 प्रतिशत का कटोत्रा किया जावेगा।

36. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अन्दर स्थाई लेखा संख्या(पेन नंबर) की छाया प्रति संध कर्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी।

37. दुग्ध संध अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षमताओं के टैकरों के एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टैकर को चला सकता है एवं उसी अनुसार दूरी का भुगतान किया जावेगा।

38. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा।

39. परिवहनकर्ता को प्रत्येक टैकर में जी.पी.एस.सिस्टम एक माह के अंदर लगाना अनिवार्य है। इससे टैकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। समय सीमा में जी.पी.एस. सिस्टम नही लगवाने पर दुग्ध संघ द्वारा जी.पी.एस.सिस्टम लगवा दिया जावेगा और इस पर होने वाले व्यय का परिवहन देयक से कटोत्रा कर लिया जावेगा।

40. संध व्दारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य अभिलेखो के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि पूर्व हटाया गया है तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिये अपात्र होगे।

41. परिवहनकर्ता के साथ किये गये अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबन्ध की अवधि में दो वर्ष की वृध्दि की जा सकेगी।

42. 7000 किलोग्राम एवं 9000 किलोग्राम क्षमता के टैंकरों हेतु दरें प्रस्तुत करना होगा निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता का टैंकर होने पर प्रोरेटा आधार पर दरों का निर्धारण किया जावेगा ।

43. यदि प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के बीच किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निराकरण दुग्ध संघ के अध्यक्ष/ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आर्बीटेशन के माध्यम से किया जावेगा एवं उनका निर्णय उभय पक्षो को मान्य एवं बन्धनकारी होगां।

44. वर्ष 2008 के पूर्व के मॉडल निविदा में मान्य नहीं किये जावेगें।

45. संघ द्वारा उल्लेखित शर्तो की दृढता के साथ परिपालन करना अति आवश्यक रहेगा। यदि अनुबंधकर्ता शर्तो का परिपालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के या बिना कारण दर्शायें अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

हस्ताक्षर एवं सील
दुग्ध परिवहनकर्ता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संध मर्यादित,
ग्वालियर

गवाह :–

1. .....

.....

2. .....

.....

1.....

.....

2.....

.....